# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,हरिद्वार
गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार–249404

मोबाइल नं0
☎ 7060002410
01334–244143


संख्या – 147 /03(i)/असि0प्रो0/डी0आर0/सेवा–02/2017–18 दिनाँकः 21 मार्च, 2018

## विज्ञप्ति

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन के उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या–01/03/डी0आर0/सेवा–2/2017–18 दिनांक 04.08.2017 में विज्ञापित असिस्टेंट प्रोफेसर के निम्नलिखित विषयों के रिक्त पदों पर चयन हेतु दिनांक 29 अक्टूबर, 2017 को सम्पन्न स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम आयोग कार्यालय की विज्ञप्ति संख्याः 269/75/गोपन/एसि0प्रो0(राजकीय महा0)–17/2017–18 दिनांक 15 मार्च, 2018 द्वारा घोषित किया गया हैः–

| क्र.सं0 | पदनाम |
|---|---|
| 1. | असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी |
| 2. | असिस्टेंट प्रोफेसर, अंग्रेजी |
| 3.. | असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत |
| 4. | असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास |
| 5. | असिस्टेंट प्रोफेसर, वाणिज्य |
| 6. | असिस्टेंट प्रोफेसर, भौतिक विज्ञान |
| 7. | असिस्टेंट प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान |
| 8. | असिस्टेंट प्रोफेसर, गणित |
| 9. | असिस्टेंट प्रोफेसर, रसायन विज्ञान (कार्बनिक रसायन) |
| 10. | असिस्टेंट प्रोफेसर, रसायन विज्ञान (अकार्बनिक रसायन) |
| 11. | असिस्टेंट प्रोफेसर, रसायन विज्ञान (भौतिक रसायन) |

**2**–स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावों के समर्थन में **निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति, ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट प्रति के साथ संलग्न करते हुए दिनांक 13 अप्रैल, 2018** की सांय 06:00 बजे तक सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के कार्यालय में डाक द्वारा अथवा अन्य किसी भी माध्यम से (कार्यदिवस – सोमवार से शुक्रवार) डाक अनुभाग के काउन्टर पर जमा कराना सुनिश्चित करें:–

a.) हाईस्कूल प्रमाण–पत्र एवं अंक–तालिका।
b.) इण्टरमीडिएट प्रमाण–पत्र एवं अंक–तालिका।
c.) स्नातक उपाधि एवं उपाधि के समस्त वर्षों/सेमेस्टरों की अंक–तालिकाएं।
d.) परास्नातक उपाधि एवं उपाधि के समस्त वर्षों/सेमेस्टरों की अंक–तालिकाएं।
e.) विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य अर्हता सम्बन्धी अन्य प्रमाण–पत्र।
f.) आयोग द्वारा निर्धारित प्रारुप पर पी0–एच0डी0 उपाधि के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र।

g.) आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर संविदा प्रवक्ता सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।

h.) अधिमानी अर्हताओं (Preferential Qualifications) सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

i.) विज्ञापन के परिशिष्ट–05 में निर्धारित प्रारूप पर अनुभव प्रमाण–पत्र, जिसका दावा किया गया हो। अनुभव प्रमाण पत्र में संदर्भ संख्या एवं विज्ञापन के अनुसार अनुभव का स्पष्ट उल्लेख किया जाना अनिवार्य है।

j.) आरक्षण एवं स्थायी निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम निर्धारित प्रारूप पर। **उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित जाति प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन किये जाने की अन्तिम तिथि 25.08.2017 से एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।**

k.) यदि अभ्यर्थी सेवारत है, तो सेवा नियोजक द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

l.) यदि अभ्यर्थी के नाम अथवा पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में एकरूपता न हो, तो उक्त के सम्बन्ध में शपथ पत्र।

m.) यदि अभ्यर्थी पूर्व सैनिक है, तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की छायाप्रति अवश्य संलग्न करें।

3– अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिन्ट आउट प्रति के साथ उपरोक्तानुसार वांछित समस्त प्रमाण–पत्रों/अभिलेखों को संलग्न कर एक लिफाफे में डालकर आयोग कार्यालय को ससमय प्रेषित करें तथा अभ्यर्थी उक्त लिफाफे के ऊपर **असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय, उत्तराखण्ड) परीक्षा 2017, अनुक्रमांक एवं पदनाम (विषय सहित)** अवश्य अंकित करें।

4– जिन अभ्यर्थियों के पास अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति/प्रिंटआउट प्रति उपलब्ध नहीं है, वह अपने आवेदन पत्र में पंजीकृत ई–मेल आई0डी0 से ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिट आउट प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में किसी भी पृच्छा हेतु अभ्यर्थी sewatwo2@gmail.com पर ई0–मेल कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

5– प्रश्नगत विज्ञापन दिनांक 04 अगस्त, 2017 के सापेक्ष एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को प्रत्येक आवेदित पद हेतु पृथक–पृथक ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिन्ट आउट प्रति (समस्त प्रमाण–पत्रों/अभिलेखों सहित) आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

6– विज्ञापन की शर्तों को पूर्ण न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।

**7– जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट (समस्त संलग्नकों सहित) दिनांक 13 अप्रैल, 2018 की सांय 06:00 बजे तक आयोग कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है, उन्हें आयोग द्वारा साक्षात्कार परीक्षा हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा, तथा इस सम्बन्ध में कोई भी अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।**

21.03.18

(पी0सी0 डंडरियाल)
प्रभारी सचिव